



HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 6055/2026

Javed Khan S/o Shri Samaydeen, Aged About 27 Years, R/o Nangla Vanjeerka, Police Station Bagad Tiraya, District Alwar (Raj.)

(At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail, Alwar).

---Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Aslam S. Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP
		Mr. Gurdatt Saini, I.O.
		SHO, Vaishali Nagar.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

28/04/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना-वैशाली नगर, जिला-अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-245/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(2), 318(4), 61(2), 112(2) बी.एन.एस. तथा धारा 66D सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 में पेश किया गया है।

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन दिनांक 05.12.2025 को भविष्य में आवश्यकतानुसार नवीन जमानत आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसके विरुद्ध सह-अभियुक्त जाहुल से जो चैट होना बताया है, उसके संबंध में विचारण के दौरान भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुई है, अभियुक्त दिनांक 13.09.2025 से अभिरक्षा में है,



कुछ महत्वपूर्ण गवाहान के बयान लेखबद्ध भी हो चुके हैं, शेष विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी—अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

इस मामले में आरोप पत्र की पूर्ण प्रतियों पेश नहीं होने पर केस डायरी सहित अनुसंधान अधिकारी श्री गुरदत्त सैनी को तलब किया गया था, जिन्हें तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संबंध में अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में यह आरोप है कि मुख्य अभियुक्त बरकत अली के संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा उसके कमरे की तलाशी ली गई तथा उसके कब्जे से 17 चेक बुक, 14 ए.टी.एम., 5 पासबुक, कुछ हस्ताक्षरित खाली चेक, आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्वाईप मशीन व विभिन्न बैंकों के क्यू.आर. कोड व स्कैनर आदि बरामद हुए हैं। अनुसंधान में यह भी प्रकट हुआ है कि सह—अभियुक्तगण द्वारा आपस में एक—दूसरे को सहयोग करते हुए विभिन्न बैंक में अलग—अलग नाम से खाते खुलवाये, जिनमें करीब 19 करोड़ रुपये की साईबर फ्रॉड की राशि जमा हुई। अभियुक्त बरकत अली के खाते में एक ही दिन में साईबर फ्रॉड की तीन करोड़ रुपये की राशि जमा हुई, पूछताछ के दौरान यह प्रकट हुआ कि सह—अभियुक्त जाहुल द्वारा अनेक बैंक खाते उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, जाहुल वर्तमान में फरार है तथा यह भी प्रकट हुआ कि प्रार्थी—अभियुक्त जावेद का जाहुल से संपर्क था और उसके द्वारा बैंक खाते में रकम आदि के लिए मैसेज भिजवाते हुए संपर्क किया।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अपराध की गंभीरता, फ्रॉड राशि की अत्यधिक मात्रा व व्यापकता को देखते हुए मुख्य अभियुक्त बरकत अली का जमानत आवेदन खारिज किया गया है, तत्पश्चात् सह—अभियुक्त आलिम खान का जमानत आवेदन भी इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है तथा कुछ अभियुक्त जो सक्रिय रूप से इस गिरोह में शामिल थे, फरार हैं।



उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियुक्त को मिथ्या रूप से आलिप्त किया हो, ऐसी स्थिति नहीं है, बल्कि सह-अभियुक्त से इस अपराध के प्रयोजन से जुड़ाव होना व सहयोग किया जाना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार के अपराध एक संगठित गिरोह द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कारित किये जाते हैं। पीड़ितों से प्राप्त छोटी व बड़ी राशि को ऐसे म्यूल खाते में अंतरित करवाकर करोड़ों रुपयों का अनुचित नुकसान पीड़ितों को पहुंचाया जाता है। पीड़ित जो जीवनभर की जमापूंजी अपनी बैंक खाते में जमा कर सुरक्षित महसूस करते हैं, एक ही पल में उनके जीवन के सपने ध्वस्त हो जाते हैं और उनकी पीड़ा का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। इस प्रकार के अपराधों से ना केवल पीड़ितों का उत्पीड़न होता है बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व उसमें लोगों का विश्वास समाप्त होता है तथा पुलिस पर गहन अनुसंधान का अनावश्यक बोझ भी बढ़ता है। यह सब अपराध अनुचित आर्थिक लाभ के लिए किये जाने का आरोप है। सह-अभियुक्त द्वारा फ्रॉड की राशि से थार गाड़ी भी खरीदी जाने का आरोप है तथा कुछ सह-अभियुक्तगण की गिरफ्तारी होना शेष है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आक्षेपों की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय प्रार्थना पत्र पुरजोर शब्दों में खारिज किया जाता है। यदि छः माह में विचारण में कोई सारवान प्रगति नहीं होती है, तो प्रार्थी-अभियुक्त नवीन जमानत आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा और तत्समय उपलब्ध सामग्री व बदली हुई परिस्थितियों में सभी पक्षों को सुनकर नये सिरे से विचार किया जा सकेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J